# फर्द अहकाम

न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

सरिता बनाम भंवर कंवर

मुकदमा संख्या / वर्ष दावा 877 / 2008

| क्र.सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/7/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर | |
| | 19/7/2022 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। वाद वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :- सहायक कलेक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा

आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 877 / 2008 वाद प्रस्तुत दिनांक – 21.10.2008

1. सरिता बडाया पत्नी ओमप्रकाश

2. मदन गोपाल पुत्र स्व. श्री मागूलाल बडाया

समस्त जाति महाजन, निवासी ग्राम नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर हाल निवासी [illegible] 503 गोविन्दराय जी का रास्ता, [illegible] पुरानी बस्ती, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
......वादीगण

बनाम

1. भंवर कंवर बेवा स्व. श्री गोपाल सिंह

2. [illegible] देवी बेवा स्व० श्री कानसिंह

3. किशन सिंह पुत्र स्व० श्री कानसिंह

4. मदन सिंह पुत्र स्व० श्री कानसिंह

5. धन्ने सिंह पुत्र स्व० श्री कानसिंह

6. फूल सिंह पुत्र स्व० श्री कानसिंह

7. भवानी सिंह पुत्र स्व० श्री कानसिंह

8. संतोष कंवर पुत्री कानसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर जिला जयपुर।

9. मंजू देवी पत्नी श्री शंकर लाल यादव जाति अहीर निवासी ए-27, ज्वाला नगर, देहली रोड, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील –आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)
......प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर, जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर, जयपुर

प्रकरण संख्या – 877/[illegible]
पक्षकार – सरिता बडाया बनाम भंवर कंवर वगैरा
निर्णय दिनांक – 19.07.2022

**वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा – 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति :–

(1) श्री भगवानसहाय शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से।

(2) पण्डित श्री उमेश पुरोहित – प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से।

(3) श्री बनवारीलाल शर्मा – प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से।

दिनांक– 19.07.2022

## निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम रामपुरा उर्फ रामल्यावास, नांगल पुरोहितान तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित साबिक खसरा नम्बर 143 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा पूर्व मे श्रीमति भंवर कंवर बेवा स्व. श्री गोपालसिंह एवं कानसिंह पुत्र स्व0 श्री गुलाबसिंह की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जिसमें दोनो खातेदारो का 1/2 – 1/2 हिस्सा था। साबिक खसरा नम्बर 143 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि मे से वादिया सरिता बडाया ने भंवर कंवर का 1/2 हिस्सा जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1991 को एवं वादी संख्या 2 मदनगोपाल ने श्री कानसिंह का 1/2 हिस्सा जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1991 को क्रय कर लिया और वादीगण ने भूमि वादग्रस्त का विक्रेतागण से भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया। पंजिकृत विक्रय पत्र 29.10.1991 के आधार पर दिनांक 20.01.1992 को नामान्तकरण संख्या 35 वादीगण के नाम अंकित किया गया उक्त भूमि को क्रय करते समय तहसील आमेर में भू–प्रबन्ध कार्यवाही विचाराधीन थी और विक्रेतागण को साबिक खसरा नम्बर 143 के भू–प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा बनाये गये नवीन खसरा नम्बरान का पर्चा नोटिस जारी किया जा चुका था इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1991 में साबिक खसरा नम्बर एवं नवीन खसरा नम्बर अंकित करते हुए विक्रेतागण द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि विक्रेता द्वारा अपने–अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का विक्रय किया जा रहा है तथा अब इस विक्रय के बाद मेरी उक्त खसरे नम्बर नये व पुराने में आरे जमीन शेष नहीं रही है। अतः क्रेता वादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि वादग्रस्त को क्रय कर लिया गया और विक्रेतागण जो कि प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 के हकपूर्वाधि[illegible] पास उक्त भूमि का कोई अंश नहीं रहा। अतः वादी विरु[illegible] वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त[illegible] जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:14 IST
Reason: SelfAttested





सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2025 से 2028 खसरा नम्बर 143 ग्राम रामपुरा उर्फ रामल्यावाला, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत 2048–51, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2059, खसरा नम्बर 214, 215, 216 एवं 213, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2059 खसरा नम्बर 217, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 213 लगायत 217, 143 प्रमाणित प्रति जमाबंदी 2059 से 2062, खसरा नम्बर 217 प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 13.10.2004, छाया प्रति विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1991, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलवी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा दिनांक 04.04.2005 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित किया है कि वरवक्त विक्रय पत्र 31.10.1991 भंवरकंवर तथा कानसिंह द्वारा पंजीकृत विक्रय के जरिये केवल खसरा नम्बर 213, 214, 215, 216 को ही विक्रय किया गया था साविक खसरा नम्बर 143 दर्ज किया गया है जो सही एवं दुरूस्त है यहां यह भी स्पष्ट करना समचिन होगा कि पंजीकृत विक्रय पत्र में साविक व नये खसरा नम्बर में से मूल खातेदारान ने खसरा नम्बर 217 को अपने पास रखकर शेष बचे नम्बरान का ही विक्रय हस्तान्तरित किया है।

प्रतिवादी संख्या 9 के द्वारा दिनांक 04.04.2005 को जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया है कि वादिया सरीता वडाया ने साविक खसरा नम्बर 143 रकवा 17 वीघा 17 विस्वा में से जो नये नम्बर खसरा नम्बर 213, 214, 215 व 216 बने वो ही भूमि भंवर कंवर से 29.10.1991 को क्रय की है तथा इसी प्रकार वादी संख्या 2 मदन गोपाल ने स्व0 कान सिंह का 1/2 हिस्सा साविक खसरा नम्बर 143 रकवा 17 वीघा 17 विस्वा में से नये नम्बर 213 लगायत 216 बने है। वो ही भूमि दिनांक 29.10.1991 को क्रय की है और उन्ही भूमि का कब्जा प्राप्त किया है जव कि विक्रय के दिन भी नया खसरा नम्बर 217 वन चुका था जिसका कोई हवाला विक्रय पत्र में नही है जिससे स्पष्ट है कि साविक खसरा नम्बर 143 रकवा 17 वीघा 17 विस्वा से वना नया खसरा नम्बर 217 का कोई विक्रय नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर दावे में निम्न तनकी कायम की गईः–

1. आया विवादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नं. 143 रकवा 17 वीघा 17 विस्वा श्रीमति भंवर कंवर वेवा गोपाल सिंह हिस्सा 1/2 कानसिंह पुत्र गुलाब सिंह हिस्सा 1/2 के नाम थी जिसमें से भंवर कंवर का 1/2 हिस्सा सरिता वडाया वादिया संख्या 1 ने और कानसिंह का 1/2 हिस्सा मदन गोपाल वादी संख्या 2

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

ने क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया और विक्रेता के पास साबिक खसरा नम्बर 143 का कोई भाग शेष नहीं बचा है।

.......... वादीगण

2. आया सेटलमेंट अधिकारियो ने सा.ख0 नं0 143 से हाल ख.न. 213, 214, 215, 216, 217 कायम किए किन्तु ख.न. 217 रकबा 0.11 है. को प्रतिवादीगण 1 ता 8 ने राजस्व कर्मचारियों से सफिरा कर गलत रूप से अपने नाम करवा लिया और अवैध रूप से प्रतिवादी 9 को विक्रय कर दिया।

.......... वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण की ओर से ख.न. 217 का किया गया विक्रय वादीगण के अधिकारों के प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है और वादीगण 217/0.11 के अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है।

.......... वादीगण

4. आया प्रतिवादीगण वादीगण की ख.न. 217 के कब्जे काश्त में मजाहमत करते है जिसके उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

.......... वादीगण

5. आया मूल खातेदारान ने ख.न. 217 को अपने पास रखकर शेष ख.न. का ही वादीगण को बेचान किया था ओर ख.न. 217 का प्रतिवादी को सही रूप से बेचान किया है

.......... प्रतिवादीगण

6. आया वादीगण का ख.न. 217 पर कब्जा नहीं है और इस ख.न. कब्जा प्रतिवादी 1 ता 8 ने प्रतिवादी 9 को विक्रय कर कब्जा दिया और 9 ही काबिज काश्त है।

.......... प्रतिवादीगण

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादीया पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 सरिता पत्नी ओमप्रकाश निवासी नांगलपुरोहित तहसील आमेर जयपुर
2. PW2 चिराग पुत्र स्व. ओमप्रकाश निवासी म.न. 503, गोविन्दराय जी का रास्ता,जयपुर
3. PW3 मदनगोपाल बडाया पुत्र नानूलाल खण्डेलवाल निवासी 7/1303, बसन्त लॉन, वोल्टस कम्पाउण्ड्स, जूपिटर हॉस्पिटल के पास, गाजीवाडा ठाने (पश्चिम) महाराष्ट्र
4. PW4 रामदयाल विजय पुत्र रामेश्वर प्रसाद विजय निवासी म.न. 62, निवासी केशर नगर, ग्राम सुखिया, मुहाना मण्डी [illegible] सांगानेर जिला जयपुर
5. दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत 2025–2028 प्रदर्श[illegible] ख[illegible] गिरदावरी प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत 2059 प्रदर्श–3, [illegible] प्रदर्श–5, साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–6, जमाबन्दी प्रदर्श–7, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–8, विक्रय पत्र बहक वादिया सरिता बडाया एव विक्रय पत्र बहक वादी संख्या 2 मदनगोपाल प्रदर्श–10 वादीगण ने प्रदर्शित करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर म. जयपुर

प्रतिवादीगण की ओर साक्ष्य हेतु कोई उपस्थित नही आये और ना ही दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस अभिवचन किया कि खसरा नम्बर 143 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि के खातेदार भंवर कंवर पत्नी गोपाल सिंह, कानसिंह पुत्र गुलाब सिंह ने अपना संपूर्ण हिस्सा दिनांक 29.10.1991 को बेचान कर दिया, जिसका की उक्त दोनो विक्रय पत्रो मे स्पष्टतया उल्लेख है, चूंकि साबिक खसरा नम्बर 143 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण का बेचान कर दिया, जिसका की विक्रय पत्र में अंकन किया गया है कि विक्रय के बाद विक्रेता के पास नये पुराने खसरे मे कोई जमीन शेष नही रही है। खसरा नम्बर 143 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा से ही खसरा नम्बर 217 रकबा 0.11 है0. बना है, जो कि खसरा नम्बर 143 का ही भाग है जिस पर वादीगण विक्रय पत्र की दिनांक से ही कब्जा काश्त है। साबिक खसरा नम्बर 143 मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 35 वादीगण के नाम स्वीकृत हो गया जिसका अमल जमाबन्दी प्रदर्श पी–1 जमाबंदी संवत 2025–2028 मे अमल होकर वादीगण रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार हो गये। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने विधि विरूद्व रूप से हाल खसरा नम्बर 217 रकबा 0.11 हैक्टेयर, भूमि अपने नाम अंकित करवा ली, जिसका की उनको कानूनन कोई विधिक अधिकार नहीं है। उनके हक में हुए इन्द्राज व नामान्तकरण विधि विरूद्व है इसलिए वादीगण को खसरा नम्बर 217 रकबा 0.11 है., का खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में बताया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो में यह अभिनिर्धारित किया है कि विक्रय पत्र में हाल खसरा नम्बर 217 बाबत रही त्रुटि को दूर कर वादीगण खातेदार अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है तथा विक्रय के पश्चात पुनः राजस्व रिकॉर्ड में अंकन व नामान्तकरण बहक प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एवं पश्चातवर्ती इन्द्राज कानून प्रभावशून्य है। इस संबंध में आर.आर.टी 2002(2) पेज 907, आर.बी.जे 1998 पेज 459, आर.आरटी 2002(1) पेज 111, आर.आर.डी 1979 पेज 01, आर.आर.डी 1995 पेज 617, आर.आर.डी 1990 पेज 44, तथा दौराने बहस जाहिर किया कि खसरा नम्बर 217 रकबा 0.11 हैक्टेयर की प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज होने के अधिकारी नहीं थे।

बहस, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्य का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:41:14 IST
Reason: SelfAttested

1. आया विवादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 143 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा श्रीमति भंवर कंवर वेवा गोपाल सिंह हिस्सा 1/2 कानसिंह पुत्र गुलाब सिंह हिस्सा 1/2 के नाम थी जिसमें से भंवर कंवर का 1/2 हिस्सा सरिता बडाया

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

वादिया संख्या 1 ने और कानसिंह का 1/2 हिस्सा मदन गोपाल वादी संख्या 2 ने क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया और विक्रेता के पास साबिक खसरा नम्बर 143 का कोई भाग शेष नही बचा है।

............ वादीगण

2. आया सेटलमेंट अधिकारियों ने सा.ख0 नं0 143 से हाल ख.न. 213, 214, 215, 216, 217 कायम किए किन्तु ख.न. 217 रकबा 0.11 है. को प्रतिवादीगण 1 ता 8 ने राजस्व कर्मचारियों से रपिता कर गलत रूप से अपने नाम करवा लिया और अवैध रूप से प्रतिवादी 9 को विक्रय कर दिया।

............ वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण की ओर से ख.न. 217 का किया गया विक्रय वादीगण के अधिकारों के प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है और वादीगण 217/0.11 के अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है।

............ वादीगण

4. आया प्रतिवादीगण वादीगण की ख.न. 217 के कब्जे काश्त मे मजाहमत करते है जिसके उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करवाने के अधिकारी है।

............ वादीगण

तनकी संख्या 1, 2, 3, 4 सुविधा की दृष्टिगत एक साथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 1 के बाबत वादीगण का वादपत्र में यह स्पष्टता अभिवचन रहा कि साबिक खसरा नम्बर 143 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि मे से वादिया श्रीमती सरिता बडाया ने श्रीमती भंवर कंवर का 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 मदनगोपाल ने रीकानसिंह का 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 29.10.1991 को क्रय किया और विक्रेतागण से भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त संबंध में वादीगण ने जमाबन्दी प्रदर्श पी–1 संवत 2025 से 2028 प्रदर्शित करवाये है जिसमें स्पष्टरूप से नामान्तकरण संख्या 35 दर्ज किये जाने का अंकन है। इस प्रकार वादीगण के नाम उक्त खसरा नम्बर 143 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि की खातेदारी दर्ज है। वादीगण के हक में हुए विक्रयपत्र के बाबत् प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में अभिवचनों को स्वीकार किया है तथा उक्त विक्रय पत्र को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया है। विक्रय पत्र में कथन है कि अब इस विक्रय के बाद मेरी उक्त खसरे नम्बर नये [illegible] नहीं रही है। इस प्रकार विक्रय पत्र में की गई इबारत [illegible] के विक्रेतागण प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] पिता कान सिंह ने अपने खातेदारी की संपूर्ण भूमि साबिक खसरा नम्बर 143 [illegible] 17 बीघा 17 बिस्वा को बेचान वादीगण के हक में किया है। लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 217 रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि का राजस्व भू–अभिलेख में अंकन पुनः विक्रेतागण के नाम गलत किया गया। जिसके आधार पर उनके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र ब्रहक

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 9 दिनांक 13.10.2004 कानूनन विधि की नजर में पश्चातवर्ती विक्रय पत्र होने के कारण शून्य दस्तावेज है, जिसके बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1979 पेज 01, आर.आर.डी 1995 पेज 617, आर.आर.डी 1990 पेज 44 पूर्ण रूप से सही साबित होते है। उक्त तनकी संख्या 1 को वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करवाया है, जिसके खण्डन मे प्रतिवादीगण द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवायी है उक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से तनकी संख्या 2 ता 3 स्वतः ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5. आया मूल खातेदारान ने ख.न. 217 को अपने पास रखकर शेष ख.न. का ही वादीगण को बेचान किया था और ख.न. 217 का प्रतिवादी को सही रूप से बेचान किया है

............ प्रतिवादीगण

6. आया वादीगण का ख.न. 217 पर कब्जा नही है और इस ख.न. कब्जा प्रतिवादी 1 ता 8 ने प्रतिवादी 9 को विक्रय कर कब्जा दिया और 9 ही काबिज काश्त है।

............ प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष से तनकी संख्या 5, 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

## आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 0.11 हैक्टेयर की भूमि जो कि साबिक खसरा नम्बर 143 का भाग होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व भू-अभिलेखो में हो रहे प्रतिवादी संख्या 9 के नाम अंकन को डिलीट किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम स्वीकृत नामांतकरण को निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 217 रकबा 0.11 हैक्टेयर के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर
सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0
सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

## डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
## (ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारीः **श्रीमती अपर्णा शर्मा**
**आर.ए.एस.**

नियमित वाद संख्या – 877 / 2008 वाद प्रस्तुति दिनांक – 27.10.2004

1. सरिता बडाया पत्नी ओमप्रकाश
2. मदन गोपाल पुत्र स्व. श्री नानूलाल बडाया

समस्त जाति महाजन, निवासी ग्राम नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर हाल निवासी म0 न0 503 गोबिन्दराय जी का रास्ता, पहला चौराहा पुरानी बस्ती, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

......... वादीगण

बनाम

1. भंवर कंवर बंवा स्व. श्री गोपाल सिंह
2. जावित्री देवी बेवा स्व0 श्री कानसिंह
3. किशन सिंह पुत्र स्व0 श्री कानसिंह
4. मदन सिंह पुत्र स्व0 श्री कानसिंह
5. पन्ने सिंह पुत्र स्व0 श्री कानसिंह
6. फूल सिंह पुत्र स्व0 श्री कानसिंह
7. भवानी सिंह पुत्र स्व0 श्री कानसिंह
8. संतोष कंवर पुत्री कानसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर जिला जयपुर।

9. राजू देवी पत्नी श्री शंकर लाल यादव जा[illegible] निवासी ए–27, ज्वाला नगर, वेनाड रोड, जयपुर, त[illegible]
10. राजस्थान सरकार जरिये [illegible] –आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

प्रकरण संख्या - 877 / 2009
[illegible] - सरिता बनाम भंवर कंवर व0
निर्णय दिनांक - 19.07.2022

## वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा – 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 0.11 हैक्टेयर की भूमि जो कि साबिक खसरा नम्बर 143 का भाग होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व भू–अभिलेखो मे हो रहे प्रतिवादी संख्या 9 के नाम अंकन को डिलीट किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम स्वीकृत नामांतकरण को निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 217 रकबा 0.11 हैक्टेयर के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 19.07.2022 को जारी किया ।

दस्तखत–––
ओहदा–––

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर भू जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – | स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | | स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महन्ताना वकील | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बबत् इजराय हुक्मानामा | | | बबत् इजराय हुक्मानामा | | |
| मुतफरित | 4 रूपये | | मुतफरित | 4 रूपये | |
| मीजान | | | मीजान | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:11:14 IST
Reason: SelfAttested